"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016—— पौष 21, शक 1937

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक 128/2454/2015/19/तक–4.— छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 156/2605/12/19/तक–4 दिनांक 07 जनवरी, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सड़कों या सड़क के भार पर, समापन प्रमाणपत्र में उल्लेखित तारीख से, प्रति यान एक ओर की यात्रा (फेरा) के आधार पर पथकर उद्ग्रहित किये जाने के लिए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिये उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार पथकर की निम्नलिखित दरें अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

सारणी

स. क्र.	वाहन के प्रकार	प्रत्येक एक ओर की यात्रा (फेरा) के लिये प्रति यान, प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन एवं मिनी बस	रूपये 0.66
2.	एल.जी.वी.(लाइट गुड्स व्हीकल), बस	रूपये 1.99
3.	ट्रक (दो एक्सल)	रूपये 3.99
4.	हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी (एच.सी.एम.) अर्थ मूविंग एक्विपमेंट (ई.एम.ई.) तथा मल्टी एक्सल व्हीकल (एम.ए.व्ही.) (तीन से छः एक्सल)/आर्टिकुलेटेड, मिडियम हैवी ट्रक एवं लॉरिस (तीन से छः एक्सल)	रूपये 7.99
5.	ओव्हर साईज व्हीकल (सात या अधिक एक्सल)	रूपये 15.97

स्पष्टीकरण :–

1. (क) "कार", "जीप" तथा "वैन" से अभिप्रेत है कोई यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 7.5 टन से अधिक न हो।

(ख) "मिनी बस" एवं "एलजीव्ही (लाईट गुड्स व्हीकल)" से अभिप्रेत है कोई यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 7.5 टन से अधिक किन्तु 12 टन से अधिक न हो।

(ग) "ट्रक" (दो एक्सल) एवं "बस" से अभिप्रेत है कोई यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 12 टन से अधिक हो किन्तु 20 टन से अधिक न हो।

(घ) "हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी" "अर्थ मूविंग एक्विपमेंट" तथा "मल्टी एक्सल व्हीकल/आर्टिकुलेटेड, मिडियम हैवी ट्रक एवं लॉरिस (तीन से छः एक्सल)" से अभिप्रेत है कोई यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 20 टन से अधिक हो किन्तु 60 टन से अधिक न हो।

(ङ) "ओवर साईज व्हीकल (सात या अधिक एक्सल)" से अभिप्रेत है कोई यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 60 टन से अधिक हो किन्तु 100 टन से अधिक न हो।

2. पथकर, राज्य शासन द्वारा अथवा ऐसा करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया जायेगा। पथकर, प्रत्येक पथकर प्लाजा हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।

3. (क) पथकर आधार दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रेल से किया जायेगा तथा पथकर आधार दरों को प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत बढ़ायी जायेगी;

(ख) प्रथम पुनरीक्षण 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावशील होगा;

(ग) पथकर राशि की गणना नीचे दी गई विधि के अनुसार की जायेगी और उसे पांच रूपये के निकटतम गुणांक तक पूर्णांकित किया जायेगा:–

सारणी में दर्शित प्रत्येक
एक ओर की यात्रा

पथकर की राशि = (फेरा) के लिये प्रति X मार्ग की लंबाई (किलोमीटर में)

यान प्रति किलोमीटर
शुल्क (पथकर) की आधार दर

4. उपरोक्त दरें, प्रति यान एक ओर की यात्रा (फेरा) हेतु एक बार के लिये है।

5. राज्य सरकार, वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियों को ऐसी सड़कों पर चलने या ऐसी पथकर पुलों/प्लाजा को पार करने के दौरान पथकर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् –

(क) छत्तीसगढ़ शासन के समस्त यान तथा वे यान, जो शासकीय कर्तव्य पर हो;

(ख) संसद सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों के यान;

(ग) सशस्त्र बलों/अर्द्ध सैनिक बलों के समस्त यान, जब वे कर्तव्य पर हो;

(घ) एम्बुलेंस;

(ङ) फायर ब्रिगेड;

(च) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान;

(छ) केवल कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली/ट्रॉली युक्त ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां;

(ज) आटो रिक्शा, दो पहिया, बैलगाड़ियां;

(झ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा उपयोग किये जाने वाले यान;

(ञ) अन्य वाहन, जो कि शासन द्वारा छूट के लिए अधिसूचित किये गये हों ।

टीपः— ऐसे छूट प्राप्त यान/वैन के चालक को अपना नाम, रैक तथा कर्त्तव्य, जिस पर वह संलग्न (नियुक्त) है, की प्रकृति बताना आवश्यक होगा ।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्ही दाण्डिक प्रावधानों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, सारणी के सरल क्र. 1 से 4 में उल्लेखित वाहनो की श्रेणीयों के लिए, यदि वाहन में उसके प्रमाणित वजह के दस प्रतिशत से अधिक भार (ओवरलोडिंग) पाये जाता है, तो राज्य शासन या सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, सारणी में दर्शाये गये अगले अनुक्रम में दिये गये दर से पथकर अधिरोपित कर सकेगा;

परंतु यह कि सारणी के सरल क्र. 5 में उल्लेखित वाहनों की श्रेणियों के लिए, वाहन में उपरोक्त शर्तों के अनुसार अधिक भार (ओवरलोडिंग) पाया जाने की स्थिति में, राज्य शासन या सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, सारणी के सरल क्र.5 में उल्लेखित दर से दुगुनी दर पर पथकर अधिरोपित कर सकेगा।

7. पथकर प्लाजा के अतिरिक्त, किसी भी अन्य स्थान पर नाका की स्थापना राज्य शासन या कोई अन्य प्राधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया हो (जो इसमें इसके पश्चात्, कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं की जायेगी, जो इस बात से की शुल्क की चोरी होने की संभावना है, से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऐसे अतिरिक्त नाके की स्थापना, ऐसे निर्बंधन एवं शर्तों पर अनुज्ञात कर सकेगा जैसा कि वह विहित करे;

परंतु यह कि यथास्थिति, राज्य शासन या सम्यक् रूप से प्राधिकारी व्यक्ति, किसी भी समय, ऐसे अनुमति को वापस ले सकेगा ।

8. **पथकर प्लाजा की अवस्थापना** — (1) यथास्थिति, राज्य शासन या सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं से दस कि.मी. से अधिक की दूरी पर पथकर प्लाजा स्थापित करेगा;

परंतु राज्य शासन या सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसी नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं से दस कि.मी. की दूरी के भीतर, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमाओं से पांच कि.मी के भीतर नहीं, पथकर प्लाजा अवस्थापित कर सकेगा या अवस्थापित करने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां यथास्थिति, सड़कों, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का निर्माण, मुख्यतः ऐसी नगरपालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों के उपयोग के लिए, नगरपालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से पांच कि.मी. के भीतर किया जाता है, तो नगरपालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं से पांच कि.मी. के भीतर, राज्य शासन की सहमति से, पथकर प्लाजा स्थापित किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप—सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्रमांक 128/2454/2015/19/तक—4.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 128/2454/2015/19/तक—4 दिनांक 11—01—2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप—सचिव.

Naya Raipur, the 11th January 2016

NOTIFICATION

No. 128/2454/2015/19/T-4.— In exercise to the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Indian Toll Act, 1851 (No.8 to 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, and in supersession of this departments notification No. 156/2605/2012/19/T-4, dated 7th January, 2013, the State Government, hereby, notifies the following toll rates as specified in column (3) of the table below for the vehicles specified in corresponding column (2) of the said table to be levied as toll tax on the basis of one way trip per vehicle, on the roads or part road from the date mentioned in completion certificate, namely :-

TABLE

S. No.	Type of Vehicle	Base rate of fee per k.m. per vehicle per one way trip
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van and Mini bus	Rs. 0.66
2.	L.G.V. (Light Goods Vehicles), Bus	Rs. 1.99
3.	Truck (Two axle)	Rs. 3.99
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) Earth Moving Equipment (EME) and Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)/Articulated, medium heavy truck and lorries (three to six axles)	Rs. 7.99
5.	Over Size Vehicles (seven or more axles)	Rs. 15.97

Explanation :-

1. (a) "Car", "Jeep" and "Van" means any mechanical vehicle whose gross vehicle weight does not exceed 7.5 tonnes.

(b) "Mini Bus" and "LGV (Light Goods Vehicle)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 7.5 tones but not exceeding 12 tonnes.

(c) "Truck" (Two Axle) and "Bus" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 12 tones but not exceeding 20 tonnes.

(d) "Heavy Construction Machinery"(HCM) "Earth Moving Equipment" (EME) and "Multi Axle Vehicle (MAV) Articulated, medium heavy truck and lorries (three to six axles)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 20 tonnes but not exceeding 60 tonnes.

(e) "Oversized vehicle (seven or above axles)" means any mechanical vehicle whose gross vehicle weight exceeding 60 tonnes but not exceeding 100 tonnes.

2. Toll Tax shall be collected by the State Government or the person duly authorized to do so. The toll tax shall be specified for each toll plaza by the Government of Chhattisgarh.

3. (a) The Toll tax base rates shall be revised on 1st April of every year and the toll tax base rates shall be increased by 5 percent every year;

(b) The first revision shall be with effect from 1st April, 2016;

(C) The toll tax amount must be computed as per the formula given below and shall be rounded off to the nearest multiple of five rupees:-

base rate of fee per
kilometer per vehicle x length of road (in)

Toll tax amount =

per one way trip as (kilometer)
given in the table

4. The above rates are for one time one way trip per vehicle.

5. The State Government exempts the following categories of vehicles from payment of tolls during plying on such roads or crossing such toll bridges/plaza, namely :-

(a) All Vehicles of Government of Chhattisgarh and the vehicle which are on Government duty;

(b) Vehicles of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly;

(c) All Vehicles of the armed forces/ paramilitary forces, when on duty;

(d) Ambulance;

(e) Fire Brigade;

(f) Vehicle of Indian Posts and Telegraph Department;

(g) Tractor/Tractor trolley/Tractor with trolley and bullock carts used for agricultural purposes only;

(h) Auto rickshaws, two wheelers. bullock carts;

(i) Vehicles being used by freedom fighters and accredited journalists; and

(j) Other vehicles as notified for exemption by the Government.

Note :- The driver of such exempted vehicles/van shall be required to state his name, rank and the nature of duty on which he is engaged.

6. Without prejudice to any penal provision in any law, for the type of vehicle mentioned in the table from serial number 1 to 4, in case a vehicle is found to be overloaded by more than 10 percent of its certified weight, by the State Government or the person duly authorized may impose toll rate given at the next serial order in the Table.

Provided that for the type of vehicles mentioned in serial number 5 of the table, in case a vehicle is found to be overloaded as per above conditions, by the State Government or the person duly authorized may impose toll at a rate which is twice the rate mentioned in serial number 5 of the table.

7. No barrier shall be installed at any place, other than at the toll plaza, except with the prior written permission of the State Government or any other authority notified by the State Government in this regard(hereinafter referred to as the Executing Authority), who after being satisfied that there is a possibility of evasion of fees, may allow on such terms and conditions as it may impose, the installation of such additional barrier:

Provided that the State Government or the person duly authorized, as the case may be, may at any time withdraw such permission.

8. **Location of toll plaza** - The State government or the person duly authorized, as the case may be, shall establish a toll plaza beyond a distance of ten kilometers from the limits of Municipality or local town area:

Provided that the State Government or the person duly authorized may, for reasons to be recorded in writing, locate or allow to locate a toll plaza within a distance of ten kilometers of such

municipality or local town area limits but in no case within five kilometers of such municipality or local town area limits:

Provided further that where a section of the roads, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, is constructed within the municipality or town area limits or within five kilometers from such limit primarily for use of the residents of such municipality or town area, the toll plaza may be established with the consent of the State Government within five kilometers from the limits of municipality or town area.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.